अनुदान संख्या 52 – पुलिस
GRANT No. 52–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*2,94,00*	*3,59,00*	*2,77,54*	*–81,46*
पूरक	*Supplementary*	*65,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*74,45*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	14469,55,00	14914,45,00	14629,37,86	–285,07,14
पूरक	Supplementary	444,90,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				123,41,65
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*13,20,00*	*5,38,08*	*–7,81,92*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*7,57,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4529,81,00	4610,91,00	2822,23,51	–1788,67,49
पूरक	Supplementary	81,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1725,42,56

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*81.46 लाख रु.*) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए *65.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत विनियोग का 23 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.81.46 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.65.00 lakhs* obtained in March, 2008 and constituted 23 percent of the total sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (28507.14 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवबंर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 44490.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 64 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.28507.14 lakhs) constituted 64 percent of the supplementary grants of Rs.44490.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	1358335.00			
पू.	S.	24490.00	1369884.07	1354913.99	–14970.08
पु.	R.	–12940.93			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	87300.00			
पू.	S.	20000.00	107899.28	106996.87	–902.41
पु.	R.	599.28			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments		1320.00	1027.00	–293.00

(I) 2000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन'' के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के लिए प्रौद्योगिकी के लिए खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2000.00 lakhs remained wholly unuitlised in one case under Major Head "2055" – "Delhi Police – Induction of Latest Technology in Delhi Police" – due to non-finalisation of proposals for purchase of technology for Delhi Police.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन'' - 117744.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4630.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 122374.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो कपड़े एवं तम्बू के लिए पूर्ति आदेशों को मूर्तरूप न दिए जाने और रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण 3790.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2055" - "Assam Rifles – Establishment and Administration" - the original provision of Rs.117744.00 lakhs was augmented to Rs.122374.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4630.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3790.28 lakhs - due to non-materialisation of supply orders for clothing and Tentage and non-filling up of vacant posts.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' - 47500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 67500.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो उपयोग प्रमाण-पत्रा के अभाव में कतिपय राज्यों को सहायता जारी न किए जाने के कारण 569.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Police – Modernisation of Police Force – Strengthening of State Police Organisations" - the original provision of Rs.47500.00 lakhs was augmented to Rs.67500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.569.33 lakhs - due to non-release of assistance to certain States for want of utilisation certificate.

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण'' -

(A) "Education and Training" –

(क) ''राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' - 167.27 लाख रु. की बचत (1722.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के कम संख्या में उपस्थित होने के कारण हुई।

(a) "National Police Academy" – saving of Rs.167.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1722.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less number of IPS probationers attended the fresh training course.

(ख) ''राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 335.75 लाख रु. की बचत (670.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने और संस्थान के विस्तार संबंधी स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of Rs.335.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.670.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents, non-filling up of vacant posts and non-finalisation of scheme for the expansion of the Institute.

(ग) ''पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी'' - 134.97 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूंजीगत भाग को किए जाने के कारण हुई।

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of Rs.134.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to re-appropriation of the funds to capital section.

(खा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' -

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 562.25 लाख रु. की बचत (1597.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(ख) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 283.42 लाख रु. की बचत (647.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना'' - 3723.69 लाख रु. की बचत (358826.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कपड़े, बुलेट-प्रूफ जैकेट, कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और संपत्ति कर में कमी किए जाने की वजह से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद/दिल्ली नगर निगम से कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''विशेष पुलिस'' -

(क) ''अनुसंधान'' - 9560.26 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सीमा जांच चौकियां'' - 1628.11 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) ''बेतार और कंप्यूटर - राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो'' - 179.42 लाख रु. की बचत (827.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने और मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of Rs.562.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1597.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents and non-filling up of vacant posts.

(b) "Government Examiner of Questioned Documents" - saving of Rs.283.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.647.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents.

(C) "Central Reserve Police – Establishment" - saving of Rs.3723.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.358826.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of clothing, bullet proof jackets, computers and receipt of less bills from New Delhi Municipal Council/Municipal Corporation of Delhi owing to reduction in property tax.

(D) "Special Police" -

(a) "Research" - saving of Rs.9560.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of equipments.

(b) "Border Check Posts" - saving of Rs.1628.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments for reimbursement.

(E) "Wireless and Computers – National Crime Records Bureau" – saving of Rs.179.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.827.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds meant for preparing project report for providing connectivity to Police Station in various States and non-procurement of machinery and equipment.

(चा) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण - दिल्ली पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए सहायता'' - 11350.72 लाख रु. की बचत (12240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्कर की खरीद और भूमि का अधिग्रहण न किए जाने की वजह से दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए आवासीय परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(छा) ''सशस्त्रा सीमा बल - स्थापना'' - 4044.51 लाख रु. की बचत (77005.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुध निर्माणियों द्वारा भंडार की पूर्ति न किए जाने, कंपनियों को आपस में मिलाने के कार्य को स्थगित किए जाने, दावों के प्राप्त न होने और नए भर्ती हुए कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

(जा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य'' - 101.12 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 459.66 लाख रु. की बचत (4435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें जेनरेटर सेटों को प्रतिस्थापित न किए जाने की वजह से रख-रखाव पर कम व्यय होने के कारण हुईं।

(ग) ''बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' - 1757.25 लाख रु. की बचत (4120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - राज्यों को विशेष सहायता'' के अंतर्गत 333.80 लाख रु. की बचत (37300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''योजनेतर अनुदान -

(F) "Modernization of Police Force – Assistance to Delhi Police for Modernization" – saving of Rs.11350.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12240.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of equipment and housing project for Delhi Police personnel owing to non-acquisition of land.

(G) "Sashastra Seema Bal – Establishment" - saving of Rs.4044.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.77005.00 lakhs) was due to non-supply of stores by the ordnance factories, postponement of intermixing of coys, non-receipt of claims and non-joining of newly recruited personnel.

(H) "Other Expenditure" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of Rs.101.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs); and

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of Rs.459.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4435.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less expenditure on maintenance owing to non-replacement of Generator Sets.

(c) "Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature" - saving of Rs.1757.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4120.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from Union Territories.

(IV) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Police – Other Grants –Special Assistance to States" - saving of Rs.333.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37300.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments.

(V) Under Major Head "3602" – "Non-Plan Grants – Police – Modernisation of Police Force-Strengthening of Police Organisations in Union

पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 293.00 लाख रु. की बचत (1320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के न होने की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 171.61 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 29 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपुर्यक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5630.26 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2055'' के अंतर्गत 12489.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस'' - 4030.26 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3995.07 लाख रु. था।

(खा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन'' - 1600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1573.88 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055'' -

(क) "सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय'' - 1653.40 लाख रु. का अधिक व्यय (1100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 345853.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भर्ती हुए कार्मिकों को वेतन और महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - स्थापना'' - 1016.97 लाख रु. का अधिक व्यय (14235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुध और

Territories with Legislature" – saving of Rs.293.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1320.00 lakhs) was due to non-release of funds to Union Territories for want of utilisation certificates.

(VI) Under two heads savings of Rs.171.61 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent and 29 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.5630.26 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.12489.00 lakhs under Major Head "2055" - under the following heads:-

(A) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" - Rs.4030.26 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3995.07 lakhs.

(B) "Industrial Security Force – Direction and Administration" - Rs.1600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1573.88 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" -

(a) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" - excess of Rs.1653.40 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.345853.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1100.00 lakhs) was due to payment of salary and dearness allowance to the newly recruited personnel.

(b) "National Security Guard – Establishment" - excess of Rs.1016.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14235.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of arms and ammunition; increase in dearness allowance rates and

गोला बारुद की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के बिलों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण - वस्तु रूप में राज्य पुलिस संगठन को सहायता'' - 4200.89 लाख रु. का अधिक व्यय (53883.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संवेदनशील राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रा में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

payment of Director General of Supplies and Disposals bills.

(c) "Modernization of Police Force – Assistance to State Police Organization in Kind" – excess of Rs.4200.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.53883.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for modernisation of forces in states facing Naxalism Millitancy and sensitive states on the International Border and in the North Eastern Region.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Police – Other Grants – Reimbursement to States for deployment of Battalions" - excess of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from the State Governments for reimbursement.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''7601'' *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*1100.00*	*363.00*	*363.00*	. .
पु.	*R.*	*–737.00*			

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) *40.00 लाख* रु. का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) ''योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - पुलिस - अन्य

(I) *Appropriation* of *Rs.40.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under "Loans for Non-Plan Schemes – Police – Other Loans – India Reserve Battalions" – saving of *Rs.737.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1100.00 lakhs*) was due to

कर्ज - भारत रिजर्व बटालियन'' के अंतर्गत *737.00 लाख* रु. की बचत (*1100.000 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (178867.49 लाख रु.) अगस्त, 2007 में प्राप्त किए गए 8110.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत थीं।

receipt of less claims for reimbursement from State Governments.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.178867.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.8110.00 lakhs obtained in August, 2007 and constituted 39 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	448381.00			
पू.	S.	8110.00	288548.44	282223.51	–6324.93
पु.	R.	–167942.56			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्राों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4600.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–4600.00			

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) 4870.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4800.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055'' - "अन्य व्यय - भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य'' - 200.00 लाख रु. तामु जिले

(I) Provision of Rs.4870.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.4800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" - "Other Expenditure - Indo-Myanmar Border Works" - Rs.200.00 lakhs - due to non-taking up of work relating to erection of barbed fencing at border areas owing to receipt of protest note from Peace and Development Council of the Tamu District.

की शांति और विकास परिषद की ओर से विरोध पत्रा प्राप्त होने की वजह से सीमा क्षेत्रों में कंटीले तारों की बाड़ लागने संबंधी कार्य को शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''असम राइफल्स - रिहायशी भवन'' - 4600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4055''' - ''सीमा सुरक्षा बल - भारत तिब्बत सीमा पुलिस'' के अंतर्गत 10550.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 18550.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण 2304.84 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''केंद्रीय रिजर्व पुलिस'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 3078.22 लाख रु. की बचत (13290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 4882.88 लाख रु. की बचत (17000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों से निर्माण के प्रस्ताव समय से प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''सामान्य'' - 3465.00 लाख रु. की बचत (17000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय दर संविदा पर निर्माण संबंधी प्रस्तावों और मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''असम राइफल्स - सामान्य'' - 895.93 लाख रु.

(B) Major Head "4552" - "Assam Rifles – Residential Buildings" – Rs.4600.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" - the original provision of Rs.10550.00 lakhs was augmented to Rs.18550.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2304.84 lakhs - due to non-finalisation of proposals for construction and non-acquisition of land.

(III) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.3078.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13290.00 lakhs) was due to non-completion of various construction works by the Central Public Works Department.

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.4882.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for construction from Central Public Works Department / Public Sector Undertakings in time.

(c) "General" - saving of Rs.3465.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for constructions and purchase of machinery and equipments on Director General of Supplies and Disposals rate contract.

(B) "Assam Rifles – General" - saving of Rs.895.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11500.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of Passive Night Vision Binocular and Hand Held Thermal Imagers and non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals.

की बचत (11500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निश्चेष्ट रात्रि में देखने योग्य दूरबीन (पैसिव नाइट विजन बाइनाकुलर) और हैंड हैल्ड थर्मल इमेजर की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय'' - 2163.84 लाख रु. की बचत (42466.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न लेने और फास्ट अटैच क्राफ्ट्स की खरीद के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लि. के साथ अंतिम लागत और करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गारद'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 742.21 लाख रु. की बचत (1240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सामान्य'' - 318.83 लाख रु. की बचत (893.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बूलेट-प्रूफ जैकेट, मोनोकुलरों, यूएचएफ एचएचआरएस, होलोग्राफिक रिफ्लैक्स साइट की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ञ) ''औद्योगिक सुरक्षा बल'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 1500.00 लाख रु. की बचत (3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 389.33 लाख रु. की बचत (1330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मकानों का निर्माण करने में असमर्थता दर्शाए जाने

(C) "Border Security Foroce – Directorate General of Border Security Force" - saving of Rs.2163.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.42466.00 lakhs) was due to non-finalisation of rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals, non-materialisation of supply orders and non-finalisation of final costs and agreement with M/s. Goa Shipyard Ltd. for purchase of Fast Attach Crafts.

(D) "National Security Guard" -

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.742.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1240.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of office building.

(b) "General" - saving of Rs.318.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.893.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement process of Bullet Proof Jackets, Monoculars, UHF HHRS and Holographic Reflex sight.

(E) "Industrial Security Force" -

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3900.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for acquisition of land and slow progress of work by the Central Public Works Department.

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.389.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1330.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction and inability shown by the Central Public Works Department to construct the houses.

(c) "General" - saving of Rs.236.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1230.00 lakhs) was due to non-procurement of vehicles and X-Ray Baggage Inspection System.

(F) "Research, Education and Training" -

के कारण हुई।

(ग) ''सामान्य'' - 236.32 लाख रु. की बचत (1230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों और एक्सरे सामान निरीक्षण प्रणाली की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण'' -

(क) ''राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' - 432.76 लाख रु. की बचत (990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त खंडों के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 1116.64 लाख रु. की बचत (1166.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(छा) ''दिल्ली पुलिस'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 1174.72 लाख रु. की बचत (5175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यालय/रिहायशी भवनों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''सामान्य'' - 1602.92 लाख रु. की बचत (5475.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों और मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''दिल्ली पुलिस में अद्यतन प्रौद्योगिकी का

(a) "National Police Academy" - saving of Rs.432.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.990.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for construction of additional blocks.

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of Rs.1116.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1166.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction and slow progress of work by the Central Public Works Department.

(G) "Delhi Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.1174.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5175.00 lakhs); and

(b) "Residential Buildings" - saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals for construction of office/residential buildings.

(c) "General" - saving of Rs.1602.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5475.00 lakhs) was due to non-finalisation of rate contract of the Directorate General of Supplies and Disposals for procurement of vehicles and machinery and equipments.

(d) "Induction of Latest technology in Delhi Police" - saving of Rs.161.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of sophisticated equipments.

(H) "Sashastra Seema Bal - General" - saving of Rs.7311.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13500.00 lakhs) was due to non-finalisation of rate contract by the Directorate General of Supplies and Disposals and non-materialisation of indents placed with rate contract firms.

अधिष्ठापन'' - 161.18 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संवेदनशील उपस्करों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(जा) ''सशस्त्रा सीमा बल - सामान्य'' - 7311.94 लाख रु. की बचत (13500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और दर संविदा फर्म को दी गई मांग-पत्रों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(झा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)'' - 580.25 लाख रु. की बचत (993.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 2887.06 लाख रु. की बचत (3372.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों और मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य सीमाओं का प्रबंधन (भारत-पाक एवं भारत-बंगलादेश सीमा को छोड़कर)'' - 6990.94 लाख रु. की बचत (13011.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोत प्रांगण (शिपयार्ड) से मोटर बोटों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''भारत-चीन सीमा'' - 4826.75 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण के लिए प्राधिकारियों से समय पर स्वीकृति प्राप्त न होने और कतिपय उपस्करों की पूर्ति के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(I) "Other Expenditure" -

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of Rs.580.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.993.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(b) "Central Forensic - Science Laboratory" - saving of Rs.2887.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3372.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents and purchase of machinery and equipments.

(c) "Management of Other Border (excluding Indo-Pak & Indo-Bangladesh Border)" - saving of Rs.6990.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13011.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of Motor Boats from Shipyard.

(d) "Indo-China Border" - saving of Rs.4826.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-receipt of clearance from the authorities in time for construction of roads on Indo-China Border and non-materialisation of supply of certain equipments.

(e) "Government Examiner of Questioned Documents" - saving of Rs.487.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.653.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents and proposal for purchase of machinery and equipments.

(f) "National Crime Record Bureau" - saving of Rs.628.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.643.00 lakhs) was due to non-finalisation of Expenditure Finance Committee documents and proposal of Colour Portrait Building Scheme.

(ङ) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 487.21 लाख रु. की बचत (653.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों और मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(च) ''राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो'' - 628.51 लाख रु. की बचत (643.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति दस्तावेजों और कलर पोट्रेट बिल्डिंग स्कीम के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(छ) ''अनुसंधान'' - 141400.01 लाख रु. की बचत (185000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संचार प्रयोजनों के लिए उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.25 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 88 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7090.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) ''असम राइफल्स - रिहायशी भवन'' - 4600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4587.73 लाख रु. था।

(खा) ''सशस्त्रा सीमा बल - रिहायशी भवन'' - 2490.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2469.24 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''असम राइफल्स'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 2498.99 लाख रु. का अधिक

(g) "Research" - saving of Rs.141400.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.185000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of equipments for communication purposes.

(IV) Under one head saving of Rs.61.25 lakhs occurred constituting 88 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (Rs.7090.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "Assam Rifles – Residential Buildings" – Rs.4600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4587.73 lakhs.

(B) "Sashastra Seema Bal – Residential Buildings" – Rs.2490.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2469.24 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" - excess of Rs.2498.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to complete the construction work of new office building for newly raised Battalions.

(b) "Border Out Post" - excess of Rs.299.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for ongoing construction works and re-deployment of certain units in new areas.

(B) "Sashastra Seema Bal - Office Buildings" - excess of Rs.3738.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to

व्यय (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवगठित बटालियन के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''सीमा चौकियां'' - 299.23 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और नए क्षेत्रों में कतिपय यूनिटों की पुन: तैनाती किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''सशस्त्रा सीमा बल - कार्यालय भवन'' - 3738.14 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुवाहाटी और जयनगर में सीमा/बटालियन मुख्यालय के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य'' - 1579.10 लाख रु. का अधिक व्यय (57097.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैंड होल्ड थर्मल इमेजिस की प्राप्ति के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 2431.03 लाख रु. का अधिक व्यय (3513.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लंबित बिलों का निपटान किए जाने और युद्ध-भूमि निगरानी रडारों की सुपुर्दगी में विलंब होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds for acquisition of land for Frontier/Battalions Hd. Qtrs., at Guwahati and Jayanagar.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - excess of Rs.1579.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.57097.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards receipt of Hand Hold Thermal Images.

(b) "Indo-Pak Border Works" - excess of Rs.2431.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3513.00 lakhs) was due to clearance of pending bills of Central Public Works Department and delay in the delivery of Battle Field Surveillance Radars.